Statement

Investigations of Cases by CBI

S.No.		1994	1995	1996	1997	1998
1.	Total No. of cases investigated	2627	2737	2974	3078	3049
2.	No. of cases in which prosecution launched in the court	608	695	625	545	576
3.	No. of cases resulted in conviction	213	188	187	214	292
4.	No. of cases pending trial	4744	5439	5434	5627	5858

Transfer of Cases from Sepcial Courts to Regular Courts

1779. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued an order to transfer certain cases under the Prevention of Corruption Act to the regular court from the special court designated for trial of those cases;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the designated court refused to comply with the order; and

(d) if so, what action has been taken to implement the Government order?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GREIVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) When it was brought to the notice of the Central Government that some State Governments were exercising powers not in accordance with certain provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988, a circular was issued in December 1998 to all the State Governments, who were inter alia requested to bring to the notice of the Central Government any such thing which may require approval of the Central Government.

As per the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988 where there are more Speical Judges than one for an area, only the Central Government is competent to specify which one of them would try a particular offence specified under the said Act. In pursuance of the above provision the Central Government, *vide* its Notification, No. 371/69/98-AV-D.III (II), dated 5.2.1999, has specified the offences/cases to be tried by the different Special Judges in the city of Chennai.

(c) and (d) The Notification referred to above in (a) and (b) has since been challenged in the Supreme Court and the matter is, therefore, sub-judice.

लोक शिकायत विभाग को प्राप्त शिकायतें

1780. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के लोक शिकायत विभाग को पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है;

(ख) क्या इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ग) सर्वाधिक शिकायतों वाले विभागों या क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(घ) पेंशन प्राप्तकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) इस विभाग के लोक शिकायत प्रभाग में वर्ष 1997 और 1998 के दौरान कुल 10486 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 9780 शिकायतों का निपटान कर दिया गया था।

(ख) इस मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रभारी अधिकारी नामित किया है। यह नामित अधिकारी अपने मंत्रालय/विभाग और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में शिकायतों के शीघ्र निपटान पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेवार होता है। शिकायतों की पावती भेजने और उनके अंतिम निपटान के लिए समय-सीमाएं निर्धारित करने हेतु अनुदेश जारी किए गये हैं। शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखने हेतु मंत्रालय/विभागों को सलाह दी गई है कि वे इन शिकायतों की तिमाही रूप से समीक्षा करें और उनके शीघ्र निवारण के लिए कार्रवाई करें। प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कुछ चुने हुये मंत्रालयों/विभागों के लोक शिकायत निदेशकों के साथ तिमाही बैठकें भी की जाती हैं। मंत्रालयों/विभागों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की कार्य-प्रणाली की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और लोक शिकायतों के निवारण में इसकी प्रभावकारिता के बारे में अनुदेश जारी किये जाते हैं। इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि जहां किसी शिकायत याचिका को रद्द किया जाना हो वहां उसका उचित उत्तर दिया जाए। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों में शिकायतों के संचालन से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े पर निगरानी रखने के लिए एक समान साफ्टवेयर विकसित किया गया है और यह साफ्टवेयर प्रचालन में लाये जाने की प्रक्रिया में है।

(ग) वर्ष 1997 में प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के अनुसार रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कंपनी कार्य विभाग तथा शिक्षा विभाग की (अवरोही क्रम में) सबसे अधिक शिकायतों वाले मंत्रालय विभाग/कार्यालयों के रूप में पाया गया था।

(घ) विभिन्न सेवा-निवृत्ति संबंधी लाभों के स्वीकृत न किये जाने अथवा स्वीकृति/अदायगी में विलंब होने या इनकी गलत गणना किये जाने से संबंधित शिकायतें, निवारण हेतु तथा याचिकादाता को सीधे उत्तर भेजने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों को भेज दी जाती है। नये लाभों की मांग अथवा पेंशन नियमों के प्रावधानों में संशोधन करने के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों की, संबंधित विभाग के साथ सलाह-मशविरा करके इस मंत्रालय में जांच की जाती है और निर्णय लिया जाता है। मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे पेंशन-भोगियों के अभ्यावेदनों/शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी निर्दिष्ट करें। पेंशन-भोगियों की शिकायतों से संबंधित कार्य का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है और उनकी याचिकाओं की पावती भेजी जाती है। याचिकादाता किसी भी शिकायत/सहायता के लिए व्यक्तिगत रूप में मंत्रालय के अधिकारियों से भी मिल सकता है।

Transfer of Blocks to MNCs from ONGC

1781. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to offer more promising oil fields to multi-nationals;

(b) whether it is a fact that some blocks allotted to ONGC may be made available to foreign oil MNCs;

(c) if so, what are the blocks now proposed to be transferred or offered to MNCs;

(d) whether ONGC is unable to do justice to the areas selected by it; and

(e) the steps proposed to review the existing policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH